न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प, सागर (म.प्र.)

निगरानी-4953/2018/सागर/भू.रा.

रोहित कुमार जैन उम्र 40 वर्ष वल्द राजेन्द्र कुमार जैन
निवासी – रविशंकर वार्ड, सागर तह. व जिला सागर .....आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

// बनाम //

आलोक कुमार जैन उम्र 42 वर्ष वल्द प्रकाशचंद जैन
निवासी – रविशंकर वार्ड, सागर
हॉल निवास – मकान नं. 59 ओम नगर, हलालपुरा
बस स्टेण्ड के पीछे, लालघाटी भोपाल .....प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. ...../2018 श्रवण दिनांक ...../...../.....

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार बीना जिला सागर के राजस्व प्रकरण क्र. 9 अ/12 वर्ष 2017–18 पक्षकार आलोक कुमार वल्द प्रकाशचंद जैन द्वारा कारंदा खास प्रकाशचंद जैन निवासी– आगासौद तह. बीना जिला सागर में सीमांकन दिनांक 07/05/2018 ग्राम पुरैना पट.ह.नं. 30 तह. बीना जिला सागर में पारित आदेश दिनांक 23/05/2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत करता है :–

पुनरीक्षणकर्ता निम्न प्रार्थना करते है –

प्रकरण से संबंधित तथ्य

1. यह कि, प्रतिपुनरीक्षणकर्ता आलोक कुमार पिता प्रकाशचंद जैन द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 23/11/2018 को राजस्व निरीक्षक के समक्ष ग्राम पुरैना स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 411/1, रकवा 0.20 हेक्टे. 418/1, रकवा 1.86 हेक्टे. कुल रकवा 2.06 हेक्टे. भूमि का सीमांकन करने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर प्रकरण क्र. 9 अ/12 वर्ष 2017–18 दर्ज किया गया था।

2. यह कि, प्रतिपुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर दिनांक 18/12/2017 को पुनरीक्षणकर्ता रोहित पिता राजेन्द्र कुमार द्वारा आपत्ति पेश की गई जिसमें पुनरीक्षणकर्ता द्वारा लेख किया गया कि, खसरा नं. 411/2, 418/2 उसकी लगी हुई भूमियां है जिसमें फसल खड़ी हुई है तथा उसका सीमांकन होने से फसल खराब होने की संभावना है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4953/2018/सागर/भू.रा. रोहित विरूद्ध आलोक

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी नायब तहसीलदार बीना जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 9/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 23-05-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 3.1.19 सदस्य	